उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा

की कार्यसूची

सोमवार, 10 चैत्र, शक संवत्, 1925

(दिनांक : 31 मार्च, 2003)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाहन्

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी "क")।

2. प्रश्न (देखिये नत्थी "ख")।

3. अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी "ग")।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट, विमाण्डेश्वर ईडा मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में" श्री देब सिंह अधिकारी एवं श्री पुष्पेश त्रिपाठी आदि निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के रवांई क्षेत्र को पृथक जनपद बनाने के सम्बन्ध में" श्री भगवती प्रसाद भद्री एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में विज्ञान संकाय खोलने विषयक" श्री शशि मोहन एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ को तहसील बनाये जाने के सन्दर्भ में" श्री राकेश सेमवाल एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

.....2/....

9. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा, "जनपद उत्तरकाशी के चामी सिगुणी-नौगांव, गोडर-सुल्याखोल मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री कुशलानन्द एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री महेन्द्र भट्ट, सदस्य, विधान सभा, "जनपद चमोली के दूरस्थ क्षेत्र चन्द्रशिला पट्टी गोदली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री देवेन्द्र सिंह राणा एवं अन्य निवासीगण जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा, "जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया अन्तर्गत खोड़ा-खजुरानी मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री दान सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. कुंवर प्रणव "चैम्पियन" सदस्य, विधान सभा, "जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत लक्सर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पासापुर के नाले पर मिनि पुल निर्माण के संबंध में" श्री नवल सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. कुंवर प्रणव "चैम्पियन" सदस्य, विधान सभा, "लन्ढौरा (हरिद्वार) क्षेत्र में बहुसंख्यक ईंट भट्टों के बिषैले धुएं से मानव जीवन एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु उनकी चिमनियों पर प्रदूषण नियंत्रक संयत्र लगाने हेतु" डा0 जुलफीकार अली एवं अन्य निवासीगण जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

15. नियम 315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

16. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

17. पशुधन एवं मत्स्य पालन मंत्री, उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेगें।

18. पशुधन एवं मत्स्य पालन मंत्री, उत्तरांचल मत्स्य विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करेंगे।

19. उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाऐं, यदि कोई हों।
(कार्यमंत्रणा की सिफारिशों के लिए नत्थी (घ))

...3/...

20. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

21. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुत किया जाना :-

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
(क) 1. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 2. श्री प्रकाश पन्त, 3. श्री अजय भट्ट, 4. श्री अरविन्द पाण्डे, 5. श्री गोविन्द लाल, 6. श्रीमती आशा नौटियाल, 7. श्री मदन कौशिक, 8. श्री सुरेश चन्द्र जैन, 9. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 10. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 11. श्री हरबंस कपूर, 12. श्री महेन्द्र भट्ट, 13. श्री अनिल नौटियाल, 14. श्री चन्द्रशेखर,	"यह सदन उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, 2002 का अननुमोदन करता है।"
(ख) 1. काजी निजामुद्दीन।	--- तदैव ---

22. कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (अधिनियम, 1972)] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय (आधा घण्टा)।

23. कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (अधिनियम, 1972)] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

24. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुत किया जाना :-

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
(क) 1. श्री हरबंस कपूर 2. श्री मातबर सिंह कण्डारी 3. श्री प्रकाश पन्त, 4. श्री अरविन्द पाण्डे, 5. श्री गोविन्द लाल, 6. श्रीमती आशा नौटियाल, 7. श्री मदन कौशिक, 8. श्री सुरेश चन्द्र जैन, 9. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 10. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 11. श्री मालचन्द, 12. श्री महेन्द्र भट्ट, 13. श्री अनिल नौटियाल, 14. श्री चन्द्रशेखर, 15. श्री कैलाश शर्मा, 16. श्री बिशन सिंह चुफाल,	"यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है।"
(ख) 1. काजी निजामुद्दीन।	--- तदैव ---

25. शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय (आधा घण्टा)।

26. शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

27. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुत किया जाना :-

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
(क) 1. श्री अजय भट्ट, 2. श्री हरबंस कपूर, 3. श्री प्रकाश पन्त 4. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 5. श्रीमती आशा नौटियाल, 6. श्री अरविन्द पाण्डे, 7. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 8. श्री गोविन्द लाल, 9. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 10.श्री विशन सिंह चुफाल, 10.श्री महेन्द्र भट्ट, 11.श्री मदन कौशिक, 12.श्री सुरेश चन्द्र जैन, 13.श्री चन्द्रशेखर, 14.श्री अनिल नौटियाल,	"यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है।"
(ख) 1. काजी निजामुद्दीन।	--- तदैव ---

28. शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय (आधा घण्टा)।

29. शहरी विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

30. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुत किया जाना :-

प्रस्तावक का नाम	संकल्प
(क) 1. श्री हरबंस कपूर, 2. श्री अजय भट्ट, 3. श्री प्रकाश पन्त, 4. श्री मातबर सिंह कण्डारी, 5. श्रीमती आशा नौटियाल, 6. श्री अरविन्द पाण्डे, 7. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, 8. श्री गोविन्द लाल, 9. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, 10. श्री महेन्द्र भट्ट, 11. श्री मदन कौशिक, 12. श्री सुरेश चन्द्र जैन, 13. श्री चन्द्रशेखर, 14. श्री अनिल नौटियाल, 15. श्री हरभजन सिंह चीमा,	"यह सदन उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 का अननुमोदन करता है।"
(ख) 1. काजी निजामुद्दीन।	--- तदैव ---

31. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय (आधा घण्टा)।

32. वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

33. श्री फूल सिंह बिष्ट, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-
"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2003 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

श्री गोपाल सिंह राणा उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।
(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी (ङ))

34. नियम-103 के अन्तर्गत श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने हेतु नीति बनाकर इसे लागू किया जाय।"

35. नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादूनः
दिनांक : 31 मार्च, 2003

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तरांचल विधान सभा

प्रथम सत्र, 2003 का
प्रथम सोमवार

उत्तरांचल विधान सभा
की कार्यसूची
सोमवार, 10 चैत्र, शक संवत्, 1925
(दिनांक : 31 मार्च, 2003)

नत्थी (क)

अल्पसूचित प्रश्न

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत 12.3.2003 — सहकारिता

**1 क्या सहकारिता मंत्री के संज्ञान में है कि ग्राम भारूवाला ग्रांट जो कि डोईवाला जनपद देहरादून क्षेत्र के अन्तर्गत एंग्लो इण्डियन डामिसाइल्ड यूरोपियन को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड क्लेमेन्टाउन (सरकार समिति) जनपद देहरादून की भूमि खसरा नं0 559,562 तथा 565 कुल 30.00 बीघा को ब्रदर्स पैट्रिक सोसाइटी के सदस्यों एवं सरकारी कर्मचारियों द्वारा खुर्द-बुर्द किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि वर्तमान में उपरोक्त भूमि एम0डी0डी0ए0 के कब्ज़े में है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अधिग्रहित कर सरकारी उपयोग में लायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

काजी निजामुद्दीन 20.3.2003 — पशुपालन

**2. क्या पशुपालन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण अंचलों में इस समय दुधारू पशु खुर पक्का-मुँह पक्का रोग से ग्रस्त है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रोग से ग्रस्त पशुओं के उपचार हेतु सचल टीम का अविलम्ब गठन करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

नत्थी (ख)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित स्थगित प्रश्न

श्री प्रकाश पंत
12.08.2002

*1. क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002 के माह जून, जुलाई तथा अगस्त में उत्तरांचल के प्रत्येक जनपद में कितने घण्टे बिजली प्रतिदिन उपलब्ध कराई गयी? क्या विद्युत कटौती की घोषणा की गयी थी तथा इसकी जानकारी जनता को दी गयी थी? यदि नहीं, तो अघोषित विद्युत कटौती के क्या कारण हैं?

ऊर्जा

उत्तरांचल विधान सभा

अनुपूरक कार्यसूची

सोमवार 10 चैत्र, शक संवत्, 1925
(दिनांक : 31 मार्च, 2003)

32- **(क)** माननीय मुख्यमंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह कि भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय ने दिनांक 21.03.2002 को अखिल भारतीय जजेज संघ के मामले में आदेश पारित किया है कि शेट्टी आयोग की संस्तुति के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान 1.7.1996 से प्रदान किया जाय। पुनरीक्षित वेतनमान पर 1.7.1996 से 30.6.2002 तक अवशेष राशि या तो नगद भुगतान किया जाय या न्यायिक अधिकारियों के जी0पी0एफ0 खाते में जमा कर दिया जाय। इस धनराशि को आयकर की गणना के लिए इए प्रकार प्रत्येक वर्ष में विभाजित किया जाय कि आयकर जमा करने का दायित्व कम से कम हो। जी0पी0एफ0 में जमा की जाने वाली धनराशि को आयकर की कटौती के बाद जमा किया जाय;

यह कि न्यायिक अधिकारियों के आवासों के विद्युत एवं जल आपूर्ति देयकों का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाय;

यह कि अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की संख्या वर्तमान अनुपात 10.50 प्रति 10 लाख जनसंख्या से बढ़ाकर 50 न्यायिक अधिकारी प्रति 10 लाख जनसंख्या किया जाय;

यह कि अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान एवं परिलब्धियों में वृद्धि के निर्देश से उत्पन्न समस्त वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जायेगा। केन्द्र सरकार का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा;

यह कि माननीय उच्चतम् न्यायालय ने अखिल भारतीय जजेज संघ के मामले में 25.11.2002 को यह आदेश भी किये हैं कि शेट्टी आयोग द्वारा संस्तुत प्रस्तावित वेतनमान दिनांक 1.4.2003 से पूर्व लागू कर दिया जाय;

यह कि उत्तरांचल राज्य का गठन 9.11.2000 को हुआ है। अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों का अभी भी अन्तिम आवंटन पूर्ण नहीं हुआ है। न्यायिक अधिकारियों का वेतनमान तथा 1.7.1996 से अवशेष देयकों का भुगतान उपरोक्त कारण से उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस संबंध में लिये जाने वाले निर्णय से जुड़ा हुआ है;

यह कि उत्तरांचल राज्य में वर्तमान में अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या का अनुपात 19 प्रति 10 लाख जनसंख्या है। वर्तमान में काफी पद रिक्त चल रहे हैं। उत्तरांचल राज्य की जनसंख्या एवं स्वरुप को देखते हुए न्यायिक अधिकारियों के पदों पर वृद्धि करना उचित नहीं होगा;

....2/....

यह कि माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने में राज्य सरकार के ऊपर लगभग 25 करोड़ का आर्वतक तथा लगभग 215 करोड़ का अनावर्तक अनुमानित व्ययभार पड़ेगा। फलस्वरूप न्याय विभाग के आयोजनेत्तर बजट में असामान्य वृद्धि प्रदेश की जनता के हितों के अनुकूल नहीं होगी। विशेषकर जब योजनागत बजट में मूलभूत आवश्यकता यथा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, सम्पर्क मार्गो के लिए वित्तीय संसाधनों की सीमितता के कारण पर्याप्त निधि की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। उक्त आदेश का परिणामी प्रभाव यह पड़ेगा कि विधान सभा के निधि आवंटन एवं प्राथमिकता पर चर्चा एवं विनिश्चय की अधिकारिकता का अतिक्रमण होगा। उक्त से विधान सभा की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह् लगेगा;

यह कि राज्य सरकार के विभिन्न अन्य संवर्गो में भी वेतनमानों के बढ़ाये जाने का दवाब बनने की आशंका होगी जो राज्य सरकार के लिए अवांछित एवं उपयुक्त वातावरण बनाये रखने के प्रतिकूल होगा;

यह कि यह सदन संकल्पित करता है कि माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश को परिवर्तित एवं उपान्तरित करने के उद्देश्य से माननीय उच्चतम् न्यायालय की किसी वृहत्तर पीठ के समक्ष विषय पर नये सिरे से विचार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय ले लिया जाय।

आज्ञा से,

देहरादूनः
दिनांक : 31 मार्च, 2003

(महेश चन्द्र)
सचिव।